बाबूलाल मराण्डी
नेता प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 534/BLM/25 दिनांक : 25/03/25

माननीय मुख्यमंत्री जी,

विषय :– राज्य में हुए कथित शराब घोटाले की जाँच में जानबूझकर ढिलाई, समय पर चार्जशीट दाखिल न करने और ACB में संदेहास्पद फेरबदल के संबंध में उच्च–स्तरीय जाँच हेतु।

महोदय,

मैं, आपका ध्यान राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें न केवल सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाया है, बल्कि यह भी उजागर किया है कि किस तरह एक संगठित गिरोह द्वारा पूरे तंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाया जा रहा है।

यह घोटाला कितना बड़ा और सुनियोजित था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी, राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन के शीर्ष पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब माफिया शामिल हैं। मीडिया में चल रही खबरों और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में लगभग सौ करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की गई है। इस पूरे प्रकरण में मुख्य रूप से निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, जेएसबीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, अमित प्रकाश, छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले विधू गुप्ता जैसे कई बड़े नाम सामने आए हैं।

सबसे चिंताजनक और संदेहास्पद बात यह है कि इस मामले की जाँच कर रही एंटी–करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जानबूझकर मामले को कमजोर करने का काम किया है। यह अविश्वसनीय है कि घोटाले के लगभग सभी मुख्य आरोपी – जिनमें निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे, पूर्व IAS अधिकारी अमित प्रकाश, JSBCL के पदाधिकारी सुधीर कुमार दास व सुधीर कुमार, मार्शन कंपनी के कर्मचारी नीरज कुमार, छत्तीसगढ़ के कारोबारी मुकेश मनचंदा, अतुल सिंह व सिद्धार्थ सिंघानिया, विधू गुप्ता और प्रभाकर सोलंकी शामिल हैं - को केवल इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि ACB निर्धारित 90 दिनों की समय–सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही। यह कोई सामान्य चूक नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने की एक सोची–समझी साजिश प्रतीत होती है। जब जाँच एजेंसी ही तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?

इस मामले में संदेह को और भी बल तब मिला जब हाल ही में ACB के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव किया गया और बाद में उसी दिन एसीबी से पाँच लोगों के तबादले भी कर दिए गए। मेरा सीधा प्रश्न है :

बूलाल मराण्डी
ा प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई-मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 534/BLM/25 दिनांक : 25/09/25

1. जिन पाँच या उससे अधिक लोगों का तबादला ACB से किया गया, वे इस शराब घोटाले में क्या भूमिका निभा रहे थे और किसके लिए काम कर रहे थे ?
2. उन्हें किसके इशारे पर एसीबी में पदास्थापित किया गया था और फिर किसके कहने पर क्यों हटाया गया ?
3. वर्तमान में वे लोग कहाँ-कहाँ पदस्थापित किये गये हैं और किसके लिये कहाँ काम कर रहे हैं ?

यह रहस्यमय फेरबदल इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार घोटाले की तह तक जाने के बजाय इसमें शामिल अपने करीबी और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है।

अतः, मैं आपसे मांग करता हूँ कि :-

- पूरे शराब घोटाले और इसमें हुए राजस्व नुकसान की निष्पक्ष जाँच के लिए यह मामला CBI को सौंपा जाए।
- ACB के उन अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जाए जिन्होंने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की, ताकि यह पता चल सके कि यह लापरवाही थी या किसी के दबाव में किया गया षड्यंत्र!
- ACB में हुए हालिया तबादलों के पीछे के कारणों एवं इनके पिछले कार्यकलाप, इनके आका के साथ ही इनके द्वारा अर्जित नामी बेनामी संपत्तियों की भी जाँच हो।

यह राज्य की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर विषय है। यदि आपने इस पर तत्काल और ठोस कार्रवाई नहीं की, तो यह माना जाएगा कि इस महाघोटाले को आपका सीधा संरक्षण प्राप्त है।

सधन्यवाद!

सेवा में,
श्री हेमन्त सोरेन जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार, राँची।

आपका

(बाबूलाल मराण्डी)